परिवर्तनीय आय प्रतिभूतियाँ
(Variable Income Securities)

इन प्रतिभूतियों में निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं—

समता अंश (Equity Shares)—समता अथवा साधारण अंशधारी कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते है। ये कम्पनी के प्रबन्ध में भाग ले सकते हैं। विनियोग के नजरिए से, समता अंशों में विनियोग बॉण्ड तथा पूर्वाधिकार अंशों की अपेक्षा अधिक जोखिमपूर्ण है। समता अंशधारियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

(i) कम्पनी की वार्षिक सामान्य सभा में मत देने का अधिकार।

(ii) कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार।

(iii) कम्पनी के लाभों में हिस्सा (लाभांश/बोनस अंश) प्राप्त करने का अधिकार।

(iv) कम्पनी समापन की स्थिति में शेष सम्पत्तियों में हिस्सा।

(v) नए निर्गमन के समय अधिकार अंश प्राप्त करने का अधिकार।

(vi) वैधानिक रिपोर्ट, अन्तिम खातों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार आदि।

विशेषताएँ (Characteristics)

1. **सीमित दायित्व** (Limited Liability)—समता अंशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कम्पनी अंशधारियों से उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य से अधिक राशि नहीं ले सकती। अंशधारियों का दायित्व केवल अदत्त राशि तक ही सीमित है।

2. **हस्तान्तरण** (Transferability)—दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इन अंशों की हस्तान्तरणता है। अंशधारी जब चाहे अपने अंशों का हस्तान्तरण कर सकता है।

3. **पूँजी वृद्धि** (Capital Appreciation)—अंशों के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में अन्तर पूँजीगत लाभ कहलाता है। कम्पनी के विकास के साथ-साथ अंशों का बाजार मूल्य भी बढ़ता है।

स्थायी आय प्रतिभूतियाँ (Fixed Income Securities)

स्थायी एवं नियमित आय की इच्छा रखने वाले निवेशक निम्न प्रतिभूतियों/विनियोग विकल्पों में निवेश करते हैं—

1. पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)

पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की तुलना में दो पूर्वाधिकार प्राप्त है। पहला लाभों में से लाभांश का भुगतान तथा दूसरा कम्पनी समापन के समय पूँजी का पुनर्भुगतान। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ये 20 वर्ष की अवधि में शोधनीय होते हैं तथा इन पर पूर्व निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है। इन अंशधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं है लेकिन कम्पनी के किसी निर्णय से इनके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उन्हें वोट देने का अधिकार है।

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार (Types of Preference Shares)

इनके बारे में विस्तृत विवरण पहले अध्याय तथा प्राथमिक बाजार वाले अध्याय में दिया जा चुका है। फिर भी ये निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अंश, (ii) शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, (iii) परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, (iv) प्रतिभू एवं अप्रतिभू पूर्वाधिकार अंश, (v) संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश।

(i) **संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अंश**—संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर अंशधारियों को उन वर्षों में लाभांश का बकाया प्राप्त करने का अधिकार है जिन वर्षों में पर्याप्त लाभ प्राप्त हुए हैं। असंचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को अगले वर्षों में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता।

Scanned with CamScanner

(ii) **शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश**—यदि कम्पनी द्वारा एक निश्चित अवधि के पश्चात् पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है तो ये शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इसके विपरीत अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कम्पनी के जीवनकाल में नहीं किया जाता।

(iii) **परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश**—यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित अवधि के पश्चात् समता अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार है तो ये अंश परिवर्तनीय अंश कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तन की सुविधा नहीं है तो ये अपरिवर्तनीय अंश कहलाते हैं।

2. ऋणपत्र (Debentures)

ऋणपत्र ऐसे ऋणों की स्वीकृति है जो जनता से लिया जाता है। ऋणपत्रधारियों को ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर एक निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। ऋणपत्रधारी कम्पनी की सम्पत्तियों पर दावा कर सकता है। ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त ऋण दीर्घकाल प्रकृति के होते हैं। ऋणपत्र प्रमाण-पत्र में निर्धारित तिथि को ऋण की राशि के भुगतान तथा निर्धारित दर से ब्याज के भुगतान का वर्णन होता है। इसके बारे में विस्तृत विवरण दूसरे अध्यायों में दिया जा चुका है।

ऋणपत्रों के प्रकार (Types of Debentures)

(i) सुरक्षित अथवा बन्धक ऋणपत्र,
(ii) पंजीकृत ऋणपत्र,
(iii) वाहक ऋणपत्र,
(iv) शोधनीय ऋणपत्र,
(v) अशोधनीय ऋणपत्र,
(vi) परिवर्तनीय ऋणपत्र,
(vii) अपरिवर्तनीय ऋणपत्र।

(i) **सुरक्षित अथवा बन्धक ऋणपत्र**—जो ऋणपत्र कम्पनी की विशिष्ट सम्पत्तियों पर सुरक्षित होते हैं, वे बन्धक अथवा सुरक्षित ऋणपत्र कहलाते हैं। भारत में ऋणपत्रों का सुरक्षित होना अनिवार्य है।

(ii) **पंजीकृत ऋणपत्र**—ऐसे ऋणपत्र जिनका कम्पनी में पंजीकरण कराया जाता है, पंजीकृत ऋणपत्र कहलाते हैं।

(iii) **वाहक ऋणपत्र**—वाहक ऋणपत्र किसी भी व्यक्ति को सौंपे जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास ऋणपत्र होते हैं, वही ऋणपत्रधारक माना जाता है।

(iv) **शोधनीय ऋणपत्र**—ऐसे ऋणपत्र जिनका शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात् किया जाता है, शोधनीय ऋणपत्र कहलाते हैं।

(v) **अशोधनीय ऋणपत्र**—अशोधनीय ऋणपत्रों का शोधन कम्पनी के जीवनकाल में नहीं होता है।

(vi) **परिवर्तनीय ऋणपत्र**—ऐसे ऋणपत्र जिनका एक निश्चित अवधि के पश्चात् समता अंशों में परिवर्तन कराया जा सके, परिवर्तनीय ऋणपत्र कहलाते हैं।

(vii) **अपरिवर्तनीय ऋणपत्र**—ऐसे ऋणपत्र जिनको समता अंशों में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता हो, अपरिवर्तनीय ऋणपत्र कहलाते हैं।

3. बॉण्ड्स (Bonds)

बॉण्ड ऋणपत्रों की भाँति होते हैं लेकिन इनका निर्गमन सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा किया जाता है। बॉण्ड धारक को कम्पनी निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करती है तथा परिपक्व तिथि (Maturity Date) पर मूल राशि का पुनर्भुगतान करने का वादा करती है। निर्गमित क्षेत्र के लिए बॉण्ड एक महत्वपूर्ण वित्त का स्त्रोत है। ये सामान्यत: दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

विशेषताएँ (Features)

(1) बॉण्ड ₹ 1,000, ₹ 5,000 अथवा ₹ 10,000 के मूल्य वर्गों में निर्गमित किए जाते हैं। मूल राशि का पुनर्भुगतान परिपक्व तिथि को किया जाता है।

(2) बॉण्ड पर निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है।

(3) निर्गमन करने वाली कम्पनी चाहे तो अपने बॉण्ड्स को पुन: क्रय कर सकती है। क्रय मूल्य, सममूल्य से थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

Scanned with CamScanner

(4) कभी-कभी कम्पनी बॉण्ड धारकों के लिए अपनी सम्पत्ति गिरवीं (Pledge) रखती है। कम्पनी बॉण्ड धारक को लिखित में (गिरवीं सम्बन्धी) सूचनाएँ देती है।

(5) बॉण्ड का एक बॉण्ड आईडेंचर (Bond Indenture) तैयार किया जाता है जो कि एक वैधानिक उपकरण के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इसमें निम्न वर्णन होता है—

(i) ब्याज की दर अथवा कूपन दर, (ii) गिरवीं रखी गई सम्पत्ति, (iii) बॉण्ड का पंजीकरण, (iv) प्रतिबन्ध यदि कोई हो, (v) न्यासी एवं बॉण्ड धारक के बीच विवाद होने पर उसके निवारण का तरीका।

बॉण्ड के प्रकार (Types of Bonds)

(1) **श्रेणीबद्ध बॉण्ड्स (Serial Bonds)**—विभिन्न परिपक्व तिथि वाले बॉण्ड का निर्गमन श्रेणीबद्ध बॉण्ड कहलाते हैं। कम्पनी इनका शोधन किस्तों में कर सकती है क्योंकि शोधन तिथि अलग-अलग होती है। निवेशक अपनी सुविधानुसार परिपक्व व तिथि वाले बॉण्ड खरीद सकते हैं।

(2) **सिंकिंग फण्ड बॉण्ड्स (Sinking Fund Bonds)**—ऐसे बॉण्ड्स के शोधन के लिए कम्पनी प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि अलग खाते में हस्तान्तरण करती रहती है। इस प्रकार शोधन के समय कम्पनी पर शोधन का बोझ नहीं पड़ता। सिंकिंग फण्ड में प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि हस्तान्तरित की जाती है। शोधन की परिपक्व तिथि पर कम्पनी बॉण्ड्स का शोधन इस खाते से कर देती है।

(3) **पंजीकृत बॉण्ड्स (Registered Bonds)**—बॉण्ड धारक का नाम, पता, प्रकार तथा बॉण्ड का नम्बर निर्गमक कम्पनी द्वारा अपने रजिस्टर में लिख लिया जाता है। बॉण्ड गुम होने की स्थिति में बॉण्ड धारक को पुनर्भुगतान में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

(4) **बन्धक बॉण्ड्स (Mortgage Bonds)**—निर्गमक कम्पनी इनके धारक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। कम्पनी वास्तविक सम्पत्ति गिरवीं रखती है। यदि कम्पनी बन्धक बॉण्ड के धारक को ब्याज अथवा मूल राशि का भुगतान करने में असफल रहती है तो धारकों को बन्धक सम्पत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात् वे सम्पत्ति को बेचकर अपनी राशि वसूल कर सकते हैं।

(5) **गारण्टी बॉण्ड्स (Guaranteed Bonds)**—ऐसे बॉण्ड्स जिनके शोधन तथा ब्याज के भुगतान की गारण्टी निर्गमक कम्पनी के अलावा दूसरी कम्पनी द्वारा दी जाती है तो वह गारण्टी बॉण्ड्स कहलाते हैं।

Scanned with CamScanner